

receipt
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
S.R., CHIRAWA
CHIRAWA
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2010000074
Presenter Name : ANUP KUMAR
Presenter Address : CHIRAWA
Document Type : SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
Claimant Name : ASHOK VAYAS, CHIRAWA
Document S.No. : 2010000103

Dated : 25/01/2010
Face Value : 450000


Stamp Value : 22500

Ordinary Registration Fee	: 4500	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Translation Fee u/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 4700

Amount Rs. Four Thousand Seven Hundred only

Cashier


Sub-Registrar, CHIRAWA



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



पाच हजार रुपये



INDIA

Rs. 5000
FIVE THOUSAND RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN

A 134760

मालियत 4, 50, 000/- रुपये

रुटांम् इयुटि 22500/- रुपये

विक्रय पत्र

मैं अनुप कुमार पुत्र अरूणा कुमार भगेरिया आयु 30 साल जाति महाजन निवासी चिडावा, तहसील चिडावा जिला हुंहुंन राजस्थान का रहने वाला हूं।

यह कि कब्जा चिडावा मे खसरा नम्बर 723 रकबा 0. 67 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। इस भूमि पर मेरा ही कब्जा, स्वा-मित्व, अधिकार, मालिकाना, बातेदारी है। मैं अपनी भूमि पर काबिज मालिक हूं। मुझे मेरी भूमि को हस्तान्तरण करने का पूर्ण विधिक अधिकार प्राप्त है।

-2

Anup Kumar

Ashok Yadav

उप पंजिवक चिडावा



राजस्थान RAJASTHAN

A 134761

-2-

यह किउपरवर्णित भूमि मे से रकबा 0.21 हैक्टर पूर्व की तरफ
से रूपये 4,50,000/- अर्थात् चार लाख पचास हजार रूपये में श्री
अशोक व्यास पुत्र रमाकान्त व्यास जाति ब्राहमण निवासी चिडावा
जेरिये निदेशक श्री रमाकान्त व्यास महिला शिक्षण
प्रशिक्षण महाविद्यालय पुरानी बस्ती चिडावा , तहसील चिडावा
जिला झुंझुन राजस्थान को विक्रय कर, विक्रय मूल्य की राशि जेरिये
चैक नम्बर 274984 खाता संख्या 51044416146 दिनांक 1-4-10
एच. बी. बी. जे चिडावा का प्राप्त कर, भौतिक कब्जा क्रेता का
करवा दिया है। जो अधिकार आज तक विक्रेता को प्राप्त थे
वे समस्त अधिकार अब क्रेता को प्राप्त हो गये है। मैंने अपना कब्जा



Handwritten signatures and initials:
-3
[Signature]
[Signature]

उप पंजीकृत चिडावा



राजस्थान RAJASTHAN

A 134822

-3-

स्वामित्व, अधिकार, मालिकाना हटाकर क्रेता का करवा दिया है जो अधिकार आज तक मुझे प्राप्त थे वे समस्त अधिकार अब क्रेता को प्राप्त हो गये है। मैंने अपना कब्जा, क्रेता को संभला दिया है। अब क्रेता इस भूमि को सम्बन्धित विभाग में अपने नाम से दर्ज करवा लेवे।

यह कि यह भूमि मैंने मेरे वैध अधिकारों सहित पूर्ण रूप से पाक एवं पवित्र विक्रय की है। यह भूमि किसी सरकारी इजराय या निलामी में कुर्क नहीं है ना किसी जमानत में बन्धक है ना किसी के रहन वय है।

-4-

Amf Bhay

Ashokrao

उप पंजिसक चिड़ावा



राजस्थान RAJASTHAN

A 650001

-4-

यह कि यह भूमि रोड व आबादी कुछ दूर स्थित है। इस भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। इस भूमि पर किसी तक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है।

-5



Ashore yad

Ashore yad

Ashore yad
उप पंजीयक विज्ञाप



राजस्थान RAJASTHAN

A 650002

-5-

अतः यह विक्रयपत्र मैंने मेरी स्वेच्छा से पूर्ण होश हवात में बिना किसी दबाव व बहकाव में आये रजिस्टर रुपये 5000, 5000, 5000, 500, 500=16000/- रुपये पर टाईप करवाकर रजिस्टर कमीरूपये 500 /- संलग्न कर रजिस्टर अधिशासक लिफ्ट रुपये 1000, 1000, 1000, 1000, 1000= 10000 रुपये =कुल 22,500/- रुपये पर लिखावट कर पटा सुन व समझ कर अपने हस्ताक्षर गवाहों के समक्षक पजीबद्ध करवा दिया है कि प्रमाण रहे। दिनांक 21-1-10

नोट- इस लेखपत्र में 3 लाईन है।
डीडराईट- विक्रम सिंह

EO निरुपादक

EO डी०

गवाह-1

EO केता



उप पंजीबद्ध लिखावा



राजस्थान RAJASTHAN

A 650003

नोट- इस लेखपत्र मे xxxxxx के साथ सलग्न है।

A. P. Singh

Ashwarya


उप पंजीकृत लिखावा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा, जिला-झुंझुनू

क्रमांक : राज/10/

दिनांक 26.3.10

निमित्त - तहसीलदार
चिड़ावा

विषय- प्रकरण सं. 52/10 अंतर्गत धारा 90 B LR
Act 1956 के निर्णय की पुति भिजवाने बाबत


उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रकरण संख्या 52/10 अंतर्गत धारा
90 बी शू राजस्व अधिनियम 1956 उनवानी अनूप कुमार वर्गेश
V/S राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा के निर्णय
दिनांक 26.3.10 की पुति प्रेषित कर लेख है कि इस
निर्णय के विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश
या विपरीत आदेश न हो तो निर्णय की पालना सुनिश्चित
करें व पालना से अवगत करावें।

संलग्न- निर्णय की पुति एक।


उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राज०)

क्रमांक- सम्/509

दिनांक- 26.3.10

प्रतिलिपि  आदिशासी अधिकारी नगर पालिका चिड़ावा
को उक्त वर्गित प्रकरण के निर्णय की पुति पालनार्थ
भिजवाई जा रही है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

निर्णय पुति


उप खण्ड अधिकारी
चिड़ावा, जिला झुंझुनू (राज०)

receipt

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
S.R., CHIRAWA
CHIRAWA
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT


Fee Sr. No. : 2010000447
Presenter Name : PHOOL SING SAINI
Presenter Address : E.O. NAGAR PALIKA CHIRAWA
Document Type : LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)
Claimant Name : SRI RAMAKANT MAHILA SHIKSH , BY ASHOK VAYAS, CHIRAWA
Document S.No. : 2010000611


Dated : 09/04/2010
Face Value : 138112
Stamp Value : 7000

Ordinary Registration Fee	: 1390	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 1590

Amount Rs. One Thousand Five Hundred Ninty only


Cashier


Sub Registrar, CHIRAWA

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs

FIVE TH

सत्यमेव जयते

INDIA



राजस्थान RAJASTHAN

A 127007

स्टाम्प इयूटी 7000/- रुपये

आबादी भूमि पट्टा विक्रय पिलेख

मैं पुनर्लिखित हाल अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका पिडावा तहसील
पिडावा जिला बुन्दुनु राजस्थान का रहने वाला हूँ ।

यह कि कच्चा पिडावा की तरहद में खतरा नम्बर 723 की आबादी भूमि में
का एक प्लॉट स्थित है । जिसका नाप निम्न है -पूर्वी भुजा 37.10 फुट, पश्चिम
भुजा 73.04 फुट, उत्तरी भुजा 161.02 फुट, दक्षिणी भुजा 173.05 फुट इस प्लॉट
का कुल क्षेत्रफल = 1079 वर्ग गज है । इस प्लॉट की हद्द इस प्रकार है :- पूर्व में
अन्य की भूमि, पश्चिम में रास्ता 30 फीट, उत्तर में खतरा नम्बर 723 ए, दक्षिण में
खतरा नम्बर 716 स्थित है इस प्लॉट का मौका नक्शा व पट्टा संलग्न है जिसे
पुरा विवरण दर्ज है।

यह कि इस प्लॉट पर पूर्व से ही श्री रमाकान्त महिला शिक्षक प्रशिक्षण महा-
विद्यालय पिडावा जरिये निदेशक श्री अशोक व्यास जाति शर्मा व्यवसाय निदेशक
महाविद्यालय निवासी पिडावा वार्ड नं० 1 तहसील पिडावा जिला बुन्दुनु राज
का कब्जा है।

उप राजदर पिडावा



राजस्थान RAJASTHAN

-2

A 652733


यह कि अब इस प्लॉट का पट्टा सं 705 नगर पालिका पिडावा ने पत्रावली संख्या 774 दिनांक 8-4-10 को श्री रमाकान्त महिला शिक्षक प्रशिक्षण महा-विद्यालय पिडावा जिरये निदेशक श्री अशोक व्यास जाति शर्मा, व्यवसाय निदेशक महाविद्यालय पिडावा वार्ड नं 1 जिला झुन्झुन राजस्थान के हक में पट्टा जारी कर दिया है। और विधिवत रूप से आबादी भूमि पट्टा विक्रय विलेख लिखवा दिया है।

यह कि अब उपरोक्त आबादी भूखण्ड पर पूर्ण रूप से मालिक काबिज श्री रमाकान्त महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय पिडावा जिरये निदेशक श्री अशोक व्यास जाति शर्मा व्यवसाय निदेशक महाविद्यालय निवासी पिडावा वार्ड नं 1 जिला झुन्झुन राज० हो गया है अब इसको अधिकार है कि इस भूखण्ड को अपने संस्थान के प्रयोजन के लिए उपयोग व उपभोग में लेवे।

Ashokya

[Signature]

उप निदेशक पिडावा



राजस्थान RAJASTHAN

A 652736

-3

अतः यह आबादी भूमि पट्टा विक्रय विलेख मैंने बहैलियत अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका सिडावा ने अपनी स्वेच्छा से, पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव बहकावे में आवे स्टाम्पत रुपये 5000,500,500 रुपये के पर टाईप करवाकर व स्टाम्पत रुपये 1000 रुपये के स्पेशियल एडोसिव टिकट तैलमन चस्था कर, पट्टा तुना सम्झकर अपने हस्ताक्षर गवाहों के लमक्ष कर, भंजीबद्ध करवा दिया है कि,पमाण रहे व समय पर काम आवे । दिनांक 9-4-010

नोट इस लेख्य पत्र में 29 लाईने हे।

डीडरार्डटर देवकरण सैनी ला0न03/2000

ह0डीडरार्डटर *देवकरण*

गवाह 1 *Balbir*

Bm

ह0 निष्पादन कर्ता प्रथम पक्ष

ह0 द्वितीय पक्ष निष्पादन गृहिता

Ashdeep

DR
उप संजियक सिडावा

receipt
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
S.R., CHIRAWA
CHIRAWA
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2010000655
Presenter Name : FOOL SINGH
Presenter Address : E.O. N.:P.
Document Type : Supplementary deed/Correction Deed
Claimant Name : ASHOK VAYAS, CHIRAWA
Document S.No. : 2010000877
Dated : 19/05/2010
Face Value : 0
Stamp Value : 100

Ordinary Registration Fee	: 150	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 100	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 0
Translation Fee us/s 62	: 0		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 250

Amount Rs. Two Hundred Fifty only

Cashier


Sub Registrar, CHIRAWA



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

शुद्धि पत्र

K 977276

मैं फूल सिंह हाल अधिशासी अधिकारी नगरपालिका चिडावा जिला हुंजुन राजस्थान का रहने वाला हूँ।

यह कि कस्बा चिडावा की सरहद मे खतरा नम्बर 723 आबादी भूमि 1079 वर्गगज का प्लॉट स्थित है। अब इस प्लॉट का पट्टा संख्या 705 नगरपालिका चिडावा ने पत्रावली संख्या 774 दिनांक 8-4-2010 को श्री रमाकान्त महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय चिडावा जरिये निदेशक श्री अशोक व्यास के हक मे पट्टा जारी कर दिया है और विधिवत रूप से आबाद भूमि पट्टा विक्रय विलेख लिखवा दिया गया है। लेकिन उक्त पट्टा संख्या 705 मे त्रुटि पूर्वक महा-विधालय का पूरा नाम नहीं लिखा गया जो कि श्री रमाकान्त व्यास महिला शिक्षक प्रशिक्षण महा विधालय चिडावा जरिये निदेशक अशोक व्यास है।

अतः भविष्य मे यह पट्टा संख्या 705 श्री रमाकान्त व्यास महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविधालय चिडावा जरिये निदेशक अशोक व्यास संलग्न माना जाए एवं उसका हिस्सा मानकर नाम को शुद्ध पटा जाये व माना जाय।

अतः यह शुद्धिपत्र मैंने मेरी स्वेच्छा से पूर्ण होशवहास मे बिना किसी दबाव व बहकाव मे आये लिखवा दिया है। जो वक्त जरूरत काम आवे।

दिनांक 17-5-10

मवाह

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

HO निरुपादक

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका चिडावा

भारतीय गैर न्यायिक

पचास

भारत

FIFTY
RUPEES

MAY 2010

Rs. 50



INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

C 320033

शुद्धि-पत्र

मैं पुन सिंह हाल अधिशासी अधिकारी नगरपालिका चिडावा, तहसील चिडावा जिला हुंनु राजस्थान का रहने वाला हूं।

यह कि कम्बा चिडावा की आबादी भूमि का एक पट्टा भूमि पट्टा विलेख पत्र जरिये पट्टा संख्या 705 दिनांक 8-4-10 का रजिस्ट्रेशन उप पंजीयन कार्यालय चिडावा में दिनांक 9-4-10 को जरिये पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 199 पृष्ठ संख्या 172 क्रम संख्या 2010000406 पुस्तक संख्या 1 जिल्द सं. 453 पृष्ठ संख्या 127 से 131 के पंजीबद्ध करवाया है। नगरपालिका चिडावा द्वारा पट्टा जारी किया गया जिसमें श्रुति वंश रमाकान्त महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय चिडावा लिखा गया जबकि रमाकान्त व्यास महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय चिडावा लिखा जाना चाहिये था जिसकी दुरुस्ती नगरपालिका चिडावा द्वारा दिनांक 17-5-10 को बहैसियत अधिशासी अधिकारी नगरपालिका चिडावा द्वारा की गई है। उप पंजीयन कार्यालय चिडावा में भूमि पट्टा विक्रय विलेखपत्र का रजिस्ट्रेशन करवाया गया जिसमें भी पृष्ठ संख्या 1 पैरा नम्बर 3 की प्रथम लाईन में रमाकान्त महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविधालय चिडावा ही दर्ज हो गया जो गलत है।

यह कि अब आबादी भूमि पट्टा विक्रय विलेख पत्र के पृष्ठ नं. 1 पैरा नं. 3

-2

Ashra yus

छप राजियक चिडावा

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

C 320034

-2-

की प्रथम लाईन में श्री रमाकान्त व्यास महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
चिडावा पटा जावे जो सही एवं सत्य है।

अतः यह शूट्टि पत्र मैंने मेरी स्वेच्छा से पूर्ण होश हवास में बिना किसी
दबाव व बहकाव में आये स्टाम्प रुपये 50, 50=100/- रुपये टाईप करवाकर पटा
सुन व समझकर अपने हस्ताक्षर गवाहों के समक्षकर पजीबद्ध करवा दिया है कि
प्रमाण रहे। दिनांक 18-5-10

नो C- इस लेखपत्र में लाईन है।

डी डायरेक्टर - विक्रम सिंह

EO डी 10

गवाह-1 शरद कौर

2 बसवी अय्या


Balbir


HO निष्पादक


HO पदधारक
Ashranyo


विश्व संस्थान

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 0
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 150 कुल रूपये 250
जरिये रसीद संख्या 2010000655 दिनांक 19/05/2010
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 100
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।


(2010000877) उप पंजीयक, CHIRAWA
(Supplementary deed/Correction Deed)

आज दिनांक 19/05/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 200
में पृष्ठ संख्या 180 क्रम संख्या 2010000814 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 457
के पृष्ठ संख्या 134 से 137 पर
चस्पा किया गया।


(2010000877) उप पंजीयक, CHIRAWA
(Supplementary deed/Correction Deed)

